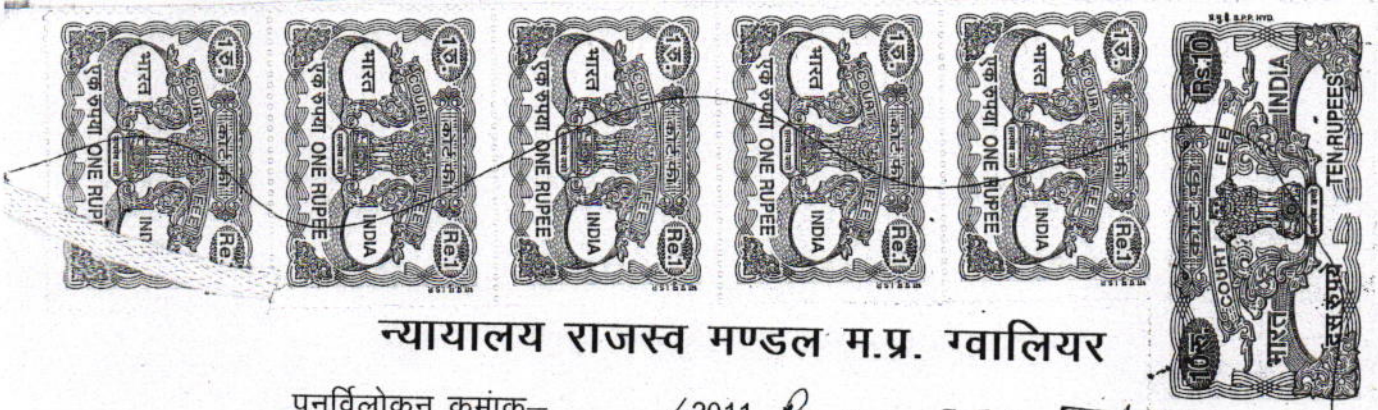

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनर्विलोकन क्रमांक– /2011 Review-772-III/2011

1. करतार नाथ पुत्र स्व. श्री तीरथ प्रसाद द्विवेदी
2. रामानुज द्विवेदी पुत्र स्व. श्री तीरथ प्रसाद द्विवेदी, निवासीगण–ग्राम डेम्हा तहसील गोपद बनास जिला सीधी (म.प्र.)

––आवेदकगण

बनाम

1. ओमकार प्रसाद पुत्र केमलाराम
2. भा गवत प्रसाद पुत्र केमलाराम
3. श्रीमती कृष्णा देवी पुत्री श्री केमलाराम निवासीगण– ग्राम डेम्हा तहसील गोपदबनास जिला सीधी (म.प्र.)

––अनावेदकगण

<u>न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर द्वारा पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 1191–II/2002 में पारित आदेश दिनांक 09/05/2002 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के अधीन पुनर्विलोकन आवेदन–पत्र</u>

माननीय महोदय,

आवेदकगण का पुनर्विलोकन निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 772–तीन/2011 जिला सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05–8–2016	आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया। यह रिव्यु प्रकरण इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 1191–दो/2002 में पारित आदेश दिनांक 09–5–2002 के विरूद्ध म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । संहिता की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है:– 1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3 कोई अन्य पर्याप्त कारण आवेदिका की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन पत्र में ऐसी कोई बात अथवा साक्ष्य नहीं दर्शाया गया है, जो आदेश पारित करते समय उसकी जानकारी में नहीं थी, अथवा प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी । अभिलेख से परिलक्षित कोई त्रुटि भी नहीं दर्शाई गई है, केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षो में त्रुटि दर्शाने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं है । 2/ उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है । (के0सी0 जैन) सदस्य	